रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-262/2024/3448/22-2-2022-17(255)/2011
लखनऊ : दिनांक: 11 नवम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/ 1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गांधी जयन्ती (02 अक्टूबर, 2022) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील उर्फ सुशील उर्फ भीम (बन्दी संख्या-16910) पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता, निवासी मौहल्ला नई बस्ती, नेहरूनगर, थाना-मऊरानीपुर, जनपद-झॉसी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-14/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या-2, झांसी के आदेश दिनांक 26.04.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 02.10.2022 तक 17 वर्ष 11 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-262/2024/3448(1)/22-2-2022 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी।
3- पुलिस अधीक्षक, झॉसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल अपील संख्या-2894/2006 सुशील उर्फ सुनील उर्फ भीम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सहबद्ध क्रिमिनल अपील संख्या- 3477/2006 अजय कुमार चौबे बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2023 एवं दिनांक 02.05.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in